तृतीय झारखण्ड विधानसभा का एकादश (विशेष) मानसून सत्र

सत्र-विवरणिका

1. **सत्र का आहवान एवं सभा की बैठकें**

झारखण्ड विधानसभा के एकादश (विशेष) मानसून सत्र का आहवान दिनांक 16 जुलाई, 2013 को हुआ जिसमें दिनांक 18 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई एवं 27 जुलाई, 2013 को सभा की कुल 04 बैठकें हुईं ।

2. **सत्र का आरम्भ**

झारखण्ड विधानसभा का एकादश (विशेष) मानसून सत्र का आरम्भ दिनांक 18.07.2013 को 11.00 बजे पूर्वा0 में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा के प्रारम्भिक सम्बोधन से हुआ ।

3. **विश्वास प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना**

दिनांक 18 जुलाई, 2013 को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन द्वारा विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव के पक्ष में 43 एवं विपक्ष में 37 मत प्राप्त हुए एवं मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की मंत्रिपरिषद में सभा का विश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 81 निर्वाचित एवं एक मनोनीत सदस्यों में एक निर्वाचित सदस्य अनुपस्थित थे।

4. **विविध चर्चायें**

(i) दिनांक 18 जुलाई, 2013 को श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 ने आसन से आग्रह किया कि विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में ''विश्वास प्रस्ताव'' का उल्लेख होना चाहिए। विश्वास का प्रस्ताव अब संसदीय व्यवस्था बन चुकी है।

(ii) दिनांक 18 जुलाई, 2013 को माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव एवं श्री समरेश सिंह द्वारा माननीय सदस्य श्री निजामुद्दीन अंसारी के अपहरण होने का मामला उठाया गया। आसन द्वारा सरकार को तुरंत इसकी जाँच कर सदन को सूचित करने का निदेश दिया गया।

5. **सभापति का मनोनयन**

दिनांक - 18.07.2013 को झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के तहत् एकादश (विशेष) मानसून सत्र के लिए माननीय सदस्य – (1) श्री लोबिन हेम्ब्रम (2) श्री फूलचन्द मण्डल (3) श्री रघुवर दास (4) श्री सौरभ नारायण सिंह एवं (5) श्री जनार्दन पासवान सभा के सभापति मनोनीत किये गये ।

6. **कार्यमंत्रणा समिति का गठन**

दिनांक - 18.07.2013 को झारखण्ड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के तहत् एकादश (विशेष) मानसून सत्र के लिए गठित कार्यमंत्रणा समिति के निम्नलिखित माननीय सदस्य नामित किये गये –

(1) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय अध्यक्ष (2) श्री हेमन्त सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री (3) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय संसदीय कार्यमंत्री (4) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय मंत्री (5) श्री अर्जुन मुण्डा, माननीय नेता प्रतिपक्ष (6) श्री प्रदीप यादव एवं (7) श्री विदेश सिंह।

विशेष आमंत्रित सदस्य

(1) श्री सुदेश कुमार महतो (2) श्री गोपाल कृष्ण पातर (3) श्री विनोद कुमार सिंह (4) चमरा लिण्डा (5) श्रीमती गीता कोड़ा (6) श्री बंधु तिर्की एवं (7) श्री रघुवर दास।

7. **आसन का निर्णय**

दिनांक - 18 जुलाई, 2013 को श्री सावना लकड़ा स0वि0स0 के सभा में मतदान करने के अधिकार के सम्बन्ध में विपक्ष की ओर से आपत्ति की गयी। आसन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले और इस आलोक में महाधिवक्ता द्वारा दी गयी राय से सदन को अवगत कराया तथा सभा में प्रस्तुत विश्वास के प्रस्ताव पर मतदान करने या न करने के सम्बन्ध में निर्णय माननीय सदस्य श्री सावना लकड़ा के विवेक पर छोड़ दिया गया। नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस पर आपत्ति की गयी, परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने निर्णय को बरकरार रखा।

8. **अध्यक्ष का निर्वाचन**

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा दिनांक 19.07.2013 को अपने पद से त्याग-पत्र दिये जाने के उपरान्त श्री साईमन मरांडी, स0वि0स0 को राज्यपाल, झारखण्ड द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि 25.07.2013 को राज्यपाल के अभिभाषण से पूर्व निर्धारित की गई। अध्यक्ष पद हेतु नामांकन के लिए दिनांक 24.07.2013 को 12.00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। निर्धारित समय में निम्नांकित चार प्रस्ताव प्राप्त हुएः-

क्र0 सं0	प्रस्तावक सदस्य	अनुमोदनकर्त्ता	प्रस्ताव
01.	श्री हेमन्त सोरेन	श्री हेमलाल मुर्मू	श्री शशांक शेखर भोक्ता, स0वि0स0 विधान-सभा के अध्यक्ष चुने जायँ।
02.	श्री जनार्दन पासवान	श्री संजय प्रसाद यादव	श्री शशांक शेखर भोक्ता, स0वि0स0 विधान-सभा के अध्यक्ष चुने जायँ।
03.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	श्री चन्द्रशेखर दूबे	श्री शशांक शेखर भोक्ता, स0वि0स0 विधान-सभा के अध्यक्ष चुने जायँ।
04.	श्री दीपक बिरुवा	श्री अकील अख्तर	श्री शशांक शेखर भोक्ता, स0वि0स0 विधान-सभा के अध्यक्ष चुने जायँ।

दिनांक 25.07.2013 को प्रोटेम स्पीकर द्वारा सभा को अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की सूचना दी गई। श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित तथा श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर सभा की सहमति हुई तथा श्री शशांक शेखर

भोक्ता, स0वि0स0 को सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने की घोषणा प्रोटेम स्पीकर द्वारा की गई। तत्पश्चात् नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।

नवनिर्वाचित विधान-सभा अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के उपरांत नेता प्रतिपक्ष, श्री अर्जुन मुण्डा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0, माननीया मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्री सुदेश कुमार महतो, स0वि0स0 एवं श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा उद्गार व्यक्त किये गये और शुभकामनायें दी गयीं। माननीय अध्यक्ष ने अपने सर्वसम्मत निर्वाचन हेतु सभा के प्रति आभार प्रकट किया।

9. **<u>राज्यपाल का अभिभाषण</u>**

दिनांक - 25 जुलाई, 2013 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 176 के अधीन राज्यपाल महोदय ने सभा में अपना अभिभाषण पढ़ा।

दिनांक - 26 जुलाई, 2013 को श्री सरफराज अहमद, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तावित तथा श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0 द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा सभा ने राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट किया।

10. **<u>अनुमत विधेयक</u>**

दिनांक - 25 जुलाई, 2013 को गत सत्र में स्वीकृत तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों की निम्नांकित विवरणी सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई –

क्र0 सं0	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक - 2012	13.12.2012	18/2012
2.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक - 2012	13.12.2012	19/2012
3.	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक - 2012	24.12.2012	20/2012
4.	उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, झारखण्ड विधेयक - 2012	26.02.2013	01/2013
5.	झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक - 2012	28.02.2013	02/2013
6.	झारखण्ड राज्य के जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) विधेयक – 2011	06.04.2013	03/2013

11. **<u>नेता प्रतिपक्ष की मान्यता की घोषणा</u>**

दिनांक - 25 जुलाई, 2013 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, माननीय श्री रवीन्द्र राय से प्राप्त अनुरोध पत्र के आलोक में माननीय श्री अर्जुन मुण्डा को दिनांक 19.07.2013 के प्रभाव से प्रतिपक्ष का नेता की मान्यता दिये जाने की घोषणा आसन से की गयी।

12. **<u>प्रश्नकाल</u>**

इस एकादश (विशेष) मानसून सत्र में 75 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें सभा में कुल 19 प्रश्न उत्तरित तथा 56 प्रश्न अनागत हुए।

56 अनागत प्रश्नों में 54 प्रश्नों के लिखित उत्तर प्राप्त हुए।

13. **<u>शून्यकाल</u>**

इस सत्र में दिनांक 26.07.2013 एवं 27.07.2013 को कुल 60 शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी गईं अथवा पढ़ी गई मानी गयीं।

.

14. **<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>**

इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 10 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ स्वीकृत की गईं। सभी स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाएँ जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंपी गयीं।

15. **<u>सभा मेज पर कागजात रखा जाना</u>**

दिनांक 27.07.2013 को प्रभारी मंत्री (वित्त) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन - राज्य वित्त, राजस्व प्राप्तियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा मनरेगा, झारखण्ड सरकार की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखा गया।

16. **<u>निवेदन</u>**

इस सत्र में प्राप्त निवेदनों की कुल संख्या – 02 थी जिन्हें नियम 263(1) के तहत् विभागों को भेजने पर सभा की सहमति हुई।

17. **<u>वित्तीय कार्य</u>**

दिनांक – 26.07.2013 को माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के 796 करोड़, 78 लाख, 25 हजार रुपये का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को सभा पटल पर उपस्थापन किया गया। इसी तिथि को 3.00 बजे अप0 तक कटौती प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

दिनांक – 27.07.2013 को प्रथम अनुपूरक में शामिल मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग सभा में पेश किया गया। श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मांग स्वीकृत हुई। शेष सभी अनुदानों की मांग गिलोटीन द्वारा स्वीकृत ही गईं।

18. **<u>विधायी कार्य</u>**

इस सत्र में पारित विधेयक का विवरण निम्न प्रकार से है –

सभा में उपस्थापन एवं पारित होने की तिथि	**विधेयक**
27.07.2013	झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2013

19. **<u>वित्तीय समितियों का गठन हेतु प्रस्ताव पर सभा की सहमति</u>**

दिनांक - 25 जुलाई, 2013 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम - 237, 239 एवं 241 के अधीन लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के गठन किये जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

20. **<u>गैर सरकारी संकल्प</u>**

दिनांक – 27.07.2013 को कुल 18 गैर सरकारी संकल्प लिये गए।

21. **<u>शोक प्रकाश</u>**

दिनांक – 25.07.2013 को विगत् सत्र से लेकर अब तक की अवधि में कतिपय राजनेताओं, समाजसेवियों, साहित्यकारों, कलाकारों तथा विभिन्न दुर्घटनाओं एवं प्राकृतिक आपदाओं में मारे गये लोगों के प्रति सदन द्वारा शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी गयी तथा दो मिनट का मौन रखा गया।

22. **<u>सभा का स्थगन</u>**

दिनांक	**कार्यवाही की अवधि**	**अन्तराल**	**स्थगन की अवधि**
18.07.2013	11.05 बजे पू0 – 01.00 बजे अप0	गुरुवार को 01.00 बजे अप0 से 02.00 बजे अप0 तक।	
	02.05 बजे अप0 से 04.10 बजे अप0		
25.07.2013	10.05 बजे पू0 – 12.20 बजे पू0		
26.07.2013	11.00 बजे पू0 – 12.30 बजे अप0	शुक्रवार को 12.30 बजे अप0 से 02.00 बजे अप0 तक।	
	02.05 बजे अप0 – 05.25 बजे अप0		
27.07.2013	11.00 बजे पू0 – 12.15 बजे अप0	शनिवार को 01.00 बजे अप0 से 02.00 बजे अप0 तक।	
	2.00 बजे अप0 – 06.35 बजे अप0		

माननीय अध्यक्ष महोदय के समापन भाषण के साथ ही दिनांक 27.07.2013 को सभा की कार्यवाही अप0 06.35 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।